<u>न्यायालय सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी : रविन्द्र कुमार

आदेश दिनांक : 12.03.2026

दांडिक प्रकीर्ण प्रकरण सं. : 147/2026

(CNR no. RJSG010004552026)

1– रामप्रताप पुत्र ओमप्रकाश, उम्र 38 साल, निवासी हरिपुरा, पीएस संगरिया, जिला हनुमानगढ़।

2– मनजीत सिंह पुत्र गणपतराम, उम्र 39 साल, निवासी बलजीतपुरा भोमा, पुलिस थाना बहाववाला, जिला फाजिल्का ।

3– भीम पुत्र बलराम, उम्र 33 साल, निवासी हरिपुरा, पीएस संगरिया, जिला हनुमानगढ़। –प्रार्थी/अभियुक्तगण

विरूद्ध

राजस्थान राज्य –अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र जमानत अंतर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं. संबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 84/2025 अपराध अंतर्गत धारा 115(2), 126(2), 333, 109(2), 329(3), 189(2) भा.न्या.सं., आरक्षी केन्द्र हिंदुमलकोट, श्रीगंगानगर।

<u>प्रतिनिधित्वः</u>

1. श्री भारत भूषण नागपाल, अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष।
2. लोक अभियोजक राज्य पक्ष की ओर से।

न्यायालय द्वाराः–

–:: **<u>आदेश</u>** ::–

1. प्रार्थी–अभियुक्तगण रामप्रताप, मनजीत सिंह व भीम की ओर से संयुक्त रूप से यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उसके अधिवक्ता ने दिनांक 11.03.2026 को पेश किया। नकल लोक अभियोजक को दिलाई गई। अनुसंधान पत्रावली आहूत की गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यानुसार दिनांक 15.04.25 को परिवादी–आहत रामकुमार ने राजकीय चिकित्सालय, श्रीगंगानगर में उपचाराधीन रहते हुए एक पर्चा बयान इस आशय का लेखबद्ध करवाया कि इसकी जमीन में काम करने वाले मनजीत की पत्नी पूजा करीब 4 माह से इसके पास आकर रह रही थी। दिनांक 14.04.2025 को करीब 2 बजे पूजा के पति मनजीत सिंह व पूजा के रिश्तेदार रामप्रताप के साथ 7–8 लोग

आए व इसके घर का दरवाजा खटखटाया तो पूजा ने दरवाजा खोल दिया। यह दरवाजे पर आया तो मनजीत सिंह, रामप्रताप व उसके साथियों ने इसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। उनके हाथ में लोहे की पाइपें व सरिये थे। मनजीत सिंह व रामप्रताप व उनके साथी पूर्ण तैयारी के साथ आए थे। इसके साथ मारपीट के दौरान इसकी माता सावित्री देवी छुड़वाने आई तो उसके साथ मारपीट की, जिससे इसके व इसकी माता के चोटें लगी...इत्यादि। इस पर्चा बयान के आधार पर प्राथमिकी संख्या 84/25 संस्थित होकर अन्वेषणाधीन है।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्तगण ने जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी–अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त मुकदमा रंजिशवश दर्ज करवाकर उन्हें इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उनसे कोई बरामदगी नहीं हुई है। प्रार्थी–अभियुक्तगण गिरफ्तारी की तिथि से अभिरक्षा में चले आ रहे हैं। वे प्रार्थना पत्र में अंकित पते के निवासी हैं, जिनके भागने का अन्देशा नहीं है। प्रकरण के अन्वेषण व विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थी–अभियुक्तगण को जमानत की सुविधा का लाभ अनुज्ञात किए जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध कर प्रार्थना पत्र अस्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

5. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी–अभियुक्तगण की पूर्व की आपराधिक पृष्ठभूमि निम्न है–

रामप्रताप				
क्र.	**मु. सं.**	**धारा**	**आरक्षी केंद्र**	**स्थिति**
1.	491/12	467, 468, 420, 471, 120 बी भा.दं.सं.	संगरिया	सजा

मनजीत सिंह				
क्र.	**मुकदमा सं.**	**धारा**	**आरक्षी केंद्र**	**स्थिति**
शून्य				

भीम				
क्र.	**मुकदमा सं.**	**धारा**	**आरक्षी केंद्र**	**स्थिति**
1.	553/25	331(6), 115(2), 126(2), 74, 351(2), 189(2) भा.न्या.सं. व धारा 3(I)(s) 3(I)(r) 3(2)va एससी/एसटी एक्ट	संगरिया	––

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी–अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी पक्ष के घर में अनधिकृत रूप से प्रवेश कर आपराधिक अतिचार कारित कर परिवादी पक्ष के साथ मारपीट कर चोटें कारित करने के आक्षेप कथन हैं। पत्रावली पर उपलब्ध आहतगण के चोट प्रतिवेदन प्रपत्र के अनुसार परिवादी–आहत रामकुमार के कुल तीन चोटें व आहता सावित्री देवी के भी कुल तीन चोटें आने का अंकन हैं। मजरूबगण के चोट प्रतिवेदन के अवलोकन से ऐसी कोई चोट मजरूबान के मार्मिक अंग पर नहीं आई है जो प्राणघातक हो और जो प्राणघातक चोट बताई गई है व घुटने पर बताई गई है। प्रार्थी–अभियुक्त रामप्रताप उक्त प्रकरण में दिनांक 27.02.2026 से तथा प्रार्थी–अभियुक्तगण मनजीत सिंह व भीम दिनांक 01.03.2026 से पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में हैं, उनसे कोई अभिरक्षात्मक अनुसंधान अपेक्षित होना नहीं दर्शाया गया है। उक्त प्रकरण में सहअभियुक्तगण नोरंग कुमार व सत करतार सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र पूर्व में दिनांक 10.03.26 को इसी न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी–अभियुक्तगण का मामला उनसे वृहद व भिन्न प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण के अन्वेषण व विचारण में पर्याप्त समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रकरण के समस्त तथ्यों–परिस्थितियों व चोटों की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी–अभियुक्तगण को जमानत की सुविधा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6. **निष्कर्षतः** प्रार्थी–अभियुक्तगण रामप्रताप, मनजीत सिंह व भीम की ओर से संयुक्त रूप से प्रस्तुत हुआ यह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं. एतद्द्वारा **स्वीकार** किया जाकर आदेश है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी–अभियुक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 25000 रूपये का निजी बंध पत्र एवं 25000 रूपये की राशि की एक सुदृढ़ जमानत अपने परिवार के किसी नजदीकी सदस्य की पेश कर तस्दीक करवा लेवे तो उन्हें इस प्रकरण में अविलंब जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जावे।

(रविन्द्र कुमार)

7. आदेश आज दिनांक **12.03.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रविन्द्र कुमार)

ARASH CHAWLA
Steno Grade II
"Authenticate document"
Digitally signed by ARASH CHAWLA
Date: 2026.03.12 14:04:53 +0530